न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या-2 बून्दी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : मिनाक्षी मीणा
दांडिक अपील संख्या : 39/2019

कालूराम पुत्र नन्दालाल,
निवासी-ग्राम चापरस, पुलिस थाना-सदर, बून्दी जिला-बून्दी (राज.)
- अपीलार्थी.

विरूद्ध

राजस्थान राज्य
-प्रत्यर्थी.

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.02.2019 द्वारा श्री हनुमान सहाय जाट अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज0)
राज्य विरूद्ध कालूराम नियमित आप. प्रकरण सं.-142/2010 (1916/2014)

उपस्थित-
(1) श्री कमल कुमार जैन-अधिवक्ता अपीलाण्ट.
(2) अपर लोक अभियोजक, प्रत्यर्थी राज्य की ओर से.

दिनांक : 10 मार्च, 2026.

नि र्ण य

1. उक्त दाण्डिक अपील अपीलार्थी कालूराम ने प्रत्यर्थी राज्य के विरुद्ध अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी द्वारा नियमित दाण्डित प्रकरण सँख्या 142/2010 राजस्थान राज्य विरुद्ध कालूराम में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2019 के विरुद्ध पेश की जिसके द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त कालूराम को उक्त प्रकरण में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7/16 व नियम 50/16 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर उक्त दोनों अपराधों के लिये क्रमशः छः व तीन माह के साधारण कारावास एवं एक हजार व पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड से दण्ड़ादिष्ट किया गया है।

2. उक्त निर्णय के विरुद्ध यह अपील माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी के न्यायालय में दिनांक 13.02.2019 को प्रस्तुत की गई, जो कालान्तर में अन्तरित होकर दिनांक 15.02.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर पंजीबद्ध की गई।

3. अपीलार्थी-अभियुक्त के अधिवक्ता का कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कानून व तथ्यों के विपरीत है। अपीलार्थी का यह

भी तर्क रहा है कि धारा 13(2) पी एफ ए एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। प्रकरण में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, हितबद्ध साक्षी राजेन्द्र कुमार के बयान नियमानुसार प्रक्रिया का पालन नहीं करने से विश्वसनीय नहीं हैं। सेम्पल सील अवस्था में रखे गये व विश्लेषक के यहॉ पहुँचाये गये और मालखाने का इंचार्ज कौन था, इस बाबत् कोई सम्पुष्ट साक्ष्य नहीं होने पर भी विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि कर विधिक भूल की है। ऐसे में अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानने में विचारण न्यायालय ने भारी भूल की है, अतः अपील स्वीकार की जाकर आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावे। विकल्प में यह भी निवेदन किया कि वे अभियुक्त की दोषसिद्धि को चुनौती नहीं देना चाहते हैं तथा दण्डादेश के संबंध में नरमी का रुख अपनाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत अपर लोक अभियोजक ने राज्य की ओर से कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व दण्डादेश विधिपूर्ण है तथा अपील खारिज किए जाने योग्य है।

5. दोनों पक्षों को सुनने, पत्रावली व विधि-व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के पश्चात् हमें देखना है कि विचारण न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष पारित किया गया है वह विधिसम्मत, शुद्ध व औचित्यपूर्ण रूप से विवेचित किया गया है अथवा नहीं ?

6. इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से चार साक्षीगण को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है जिसमें पी.डब्ल्यू. 1 राजेन्द्र कुमार, पी.डब्ल्यू. 2 वेणी प्रकाश, पी.डब्ल्यू. 3 राम लाल व पी.डब्ल्यू. 4 डॉ0 आर.डी.वर्मा है एवं प्रकरण में प्रस्तुत गवाहान की साक्ष्य जिसमें मुख्य रूप से गवाह पी.डब्ल्यू. 1 राजेन्द्र कुमार खाद्य निरीक्षक की साक्ष्य को आधार मानते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों को उचित नहीं मानते हुए अभियुक्त/अपीलार्थी को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7/16 में दोषसिद्ध कर दण्डित किया है। पी.डब्ल्यू. 1 राजेन्द्र कुमार खाद्य निरीक्षक के द्वारा दूध का सेम्पल लिया जाकर सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनायी जाकर जन विश्लेषक की रिपोर्ट आने के पश्चात् अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर यह परिवाद प्रस्तुत किया है एवं इस गवाह ने विचारण न्यायालय के अपने सशपथ बयानों के मुख्य परीक्षण में उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया का पूर्ण विवरण देते हुए अपने कथन लेखबद्ध करवाये हैं एवं उसकी प्रतिपरीक्षा में भी ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे उसकी साक्ष्य सन्देहित हो।

7. अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अपील में बहस के दौरान यह भी निवेदन किया है कि वे दोषसिद्धि को चुनौती नहीं देना चाहते हैं तथा दण्ड के प्रश्न पर नरमी का रुख अपनाया जाने का निवेदन किया। अपीलार्थी की ओर से यह भी बहस की गई है कि वह पिछले 16 वर्षों से अन्वीक्षा भुगत रहा है, 70 वर्ष की उम्र का व्यक्ति है, अतः उसे परिवीक्षा पर रिहा किया जावे। इसके विपरीत अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया।

8. उपरोक्त मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आदेश यथावत रखा जाने योग्य पाया है एवं अपीलार्थी-अभियुक्त का यह निवेदन रहा है कि वह पिछले 16 वर्षों से अन्वीक्षा भुगत रहा है, 70 वर्ष की उम्र का व्यक्ति है, अतः उसके विरुद्ध नरमी का रुख अपनाया जावे। इस न्यायालय के मत में अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, ऐसी स्थिति में उसे दोषसिद्ध अपराध के लिये परिवीक्षा का लाभ दिया जाकर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है किन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, पूर्व दोषसिद्धि भी पत्रावली पर नहीं है, अभियुक्त विगत 15-16 वर्ष से अन्वीक्षा भुगत रहा है, प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 28.01.2010 को पेश हुआ था, तब से वह इस प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहा है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 अस्तित्व में आ चुका है एवं जहॉ खाद्य पदार्थ जो कि मानव उपयोग के लिये सुरक्षित नहीं है उनके विक्रय आदि से यदि किसी व्यक्ति को घोर, साधारण क्षति या मृत्यु कारित हो जाती है तो छः माह की अवधि के कारावास या जुर्माना जो कि एक लाख रूपये तक का हो सकता है, के दण्ड का प्रावधान है। जबकि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 16 में न्यूनतम छः माह के कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड का प्रावधान है। ऐसे में यह दर्शित है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 अभियुक्त के प्रति एक लाभकारी व्यवस्था प्रदान करता है। यदि इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त ए.के.सरकार एण्ड कम्पनी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य 2024 (3) एस.सी.आर. पेज 356 में पारित मत का अवलोकन किया जाये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी दण्ड के संबंध में किसी विधि में अभियुक्त के लिये लाभकारी प्रावधान मौजूद है तो चाहे वह अपराध की तिथि के पश्चात् की विधि क्यों न हो, उसका लाभ अभियुक्त को दिया जा सकता है एवं इस प्रकरण में भी माननननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त जिसकी दोषसिद्धि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7/16 के तहत की गई थी, उसे मात्र जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाकर नवीन अधिनियम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का लाभ प्रदान किया गया। ऐसे में इन समस्त परिस्थितियों को देखते हुए चूंकि प्रस्तुत मामले में ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जो यह दर्शित करे कि अभियुक्त के कृत्य से सिकी व्यक्ति को साधारण या गम्भीर क्षति कारित हुई हो अथवा किसी की मृत्यु कारित हुई हो। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय अभियुक्त कालूराम को कारावास के दण्ड के स्थान पर अर्थदण्ड से दण्डित करना उचित पाता है।

9. अत: उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7/16 हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि को पुष्ट किया जाकर दण्डादेश को संशोधित किया जाना उचित समझते हैं।

<u>आदेश</u>

परिणामस्वरूप अपीलार्थी-कालूराम की ओर से प्रस्तुत यह अपील एतद्द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या- 142/2010 बउनवान राज्य बनाम कालूराम में दिनांक 06.02.2019 को पारित निर्णय में अभियुक्त कालूराम के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7/16 हेतु दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है एवं पारित दण्डादेश को संशोधित करते हुए अभियुक्त/अपीलार्थी कालूराम को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7/16 व नियम 50/16 के अपराध के लिये एक-एक हजार रूपये (1000-1000/-) कुल दो हजार रूपये (2,000/-) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में वर्णित शेष आदेश यथावत् रहेगा।

अपीलार्थी-अभियुक्त उक्त अर्थदण्ड की राशि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्णय की तिथि से 10 दिवस के भीतर प्रस्तुत करे अन्यथा इस न्यायालय द्वारा पारित अर्थदण्ड का व्यतिक्रम होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित दण्डादेश यथावत् प्रभावी रहेगा।

निर्णय की एक प्रति के साथ विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे।

(मिनाक्षी मीणा)
अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या-2,
बून्दी (राजस्थान)

10. निर्णय आज दिनांक 10 मार्च, 2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या-2,
बून्दी (राजस्थान)